



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1930 (श०)

(सं० पटना 204)

पटना, मंगलवार 1 अप्रैल, 2008

वणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

31 मार्च, 2008

एस० ओ०-38, दिनांक 1 अप्रैल, 2008— बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुसूचित मालों के प्रवेश पर, जिस दर से एवं जिन शर्तों के अध्वधीन कर उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया जायेगा, विनिर्दिष्ट करते हैं।

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत में)	निबन्धन एवं शर्त
1	तम्बाकू	8	बिहार राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में अन्य अथवा बिहार राज्य के बाहर के किसी स्थान से बिहार राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर।
2	तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुटखा एवं अन्य उसी तरह के उत्पाद, बीड़ी को छोड़ कर, शामिल है।	16	बिहार के बाहर के किसी स्थान से बिहार के किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर।
3	भारत में विनिर्मित विदेशी शराब एवं विदेश में विनिर्मित विदेशी शराब।	16	तदैव
4	सिमेंट	12	तदैव
5	क्रूड ऑयल	2	तदैव
6	प्रत्येक प्रकार के पेंट, वारनिस एवं सभी प्रकार के पेंटर की सामग्रियाँ।	8	तदैव
7	कोल एवं सभी प्रकार के रूप में कोक	4	तदैव

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत में)	निबन्धन एवं शर्त
8	प्रत्येक प्रकार के कागज जिसमें एक्सरसाईज बुक्स, रद्दी कागज, पेस्ट बोर्ड, कार्ड बोर्ड, मिल बोर्ड, हार्ड बोर्ड, कार्टीज कागज, पैकिंग कागज, कागज के झोले, कार्टून्स, कार्ड्स, सादा रजिस्टर, नोट बुक, लिफाफा, लेबल, लेटर पैड एवं लेखन हेतु प्रयुक्त टैब्लेट्स तथा फ्लैट फाईलस शामिल हैं।	5	तदैव
9	कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, यू0 पी0 एस0, सी0 भी0 टी0, उनके घटक तथा उप-साधन जिसमें कम्प्यूटर केबुलस, स्कैन्स तथा मॉडम शामिल हैं।	4	तदैव
10	एयर कंडिशनरस, एयर कुलर्स एवं एयर सरकुलेटर्स	5	तदैव
11	संगमरमर, संगमरमर का दाना एवं टाइल्स, ग्रेनाइट एवं सेरामिक तथा ग्लेज्ड टाइल्स।	8	तदैव
12	स्टील पाईप, प्लास्टिक एवं पी0भी0सी0 पाईपस जिसमें प्लास्टिक सेल्युलाय, बेकेलाइट, इसी प्रकार की सामग्रियों से विनिर्मित सामग्रियों, प्लास्टिक सीट्स एवं फैंब्रिक्स तथा इसी प्रकार सीट या फैंब्रिक्स से विनिर्मित वस्तुएँ पी0भी0सी0, एच0डी0पी0ई0, ग्रेनूल्स एवं इसी प्रकार के अन्य कच्चे माल शामिल हैं परन्तु जिसमें प्लास्टिक एवं उसी प्रकार की सामग्रियों से बने भी0आई0पी0, एरिस्टोक्रैट, सफारी तथा इसी प्रकार की सामग्रियों से बने मोल्डेड सूटकेश या वैनाइटी केस शामिल नहीं हैं।	4	तदैव
13	आयरण एवं स्टील।	4	तदैव
14	हल्के एवं भारी मोटर वाहन जिसमें ट्रिचक्र वाहन, त्रिचक्र वाहन एवं ट्रकों तथा बसों के चेसिस शामिल हैं परन्तु जिसमें ट्रैक्टर शामिल नहीं हैं।	8	तदैव
15	इमारती लकड़ियाँ, प्लाई उड, प्लाई बोर्ड, सनमाईका, फोरमाईका जिनमें अलंकृत लेमिनेशन एवं लेमिनेटेड शीट्स शामिल हैं।	8	तदैव
16	सेनेटरी के सामान एवं फिटिंग्स	8	तदैव
17	बिजली के सामान, इम्पलीमेंट्स, अपरेटर्स एवं अप्लाएसेंस जिनमें इलेक्ट्रीकल फिटिंग्स, ट्रांसफॉर्मर, इनभर्टर, इन्सुलेटर, इलेक्ट्रीकल अर्थ वेयर एवं पोरसतीन, टेस्टिंग तथा मेटेनेन्स इक्यूपमेंट्स, व्यालर, प्लांट, डीजल जेनेरेटींग सेट्स, बैट्री एवं बैट्री चार्जर, स्टील टावर्स, टावर पार्ट्स, उनमें प्रयुक्त बोल्ट्स एवं नट्स, कॉन्डक्टर्स, ग्लवैनाईज्ड स्टील अर्थ वायर, लाईटींग एरेस्टर, कॉन्ट्रोल एवं रीले पैनल्स, लाईटींग इक्यूपमेंट्स, पी0 भी0सी0 केबुल, पावर लाइन कम्प्यूनिक्शन कैरियर इक्यूपमेंट्स तथा बिजली के उत्पादन, विपणन एवं प्रयोग हेतु वांछित सभी मशीनरी, डिवाइस तथा वस्तुएँ शामिल हैं।	8	तदैव
18	वनस्पति एवं अन्य हाईड्रोजेनेटेड ऑयल।	5	तदैव

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	दर (प्रतिशत में)	निबन्धन एवं शर्त
19	टेलीफोन सेट्स, उनके स्पेयर पार्ट्स तथा एक्सेसरीज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इक्यूपमेंट्स/एक्सचेंजेज, वायरलेस तथा उनके घटक एवं उप-साधन शामिल हैं, सेल्यूलर रेडियो इक्यूपमेंट, टेलीफोन यंत्र, ट्रांसमिशन इक्यूपमेंट, बैट्रीज, पावर प्लांट्स, इनभरटर्स, केबुल एवं तार, बस बार, एम0डी0एफ0, डी0डी0एफ0, जी0डी0 ट्यूब्स, टूल्स, इन्सटॉलेशन मेटेरियल्स, प्रत्येक प्रकार के कम्प्यूनिकेशन यंत्र, उनके यंत्र तथा उप-साधन टेस्टर्स माइक्रोफाइकी / माइक्रोफिल्म रीडर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर, प्रिंटेड सर्किट एसेम्बलीज, मैग्जींस, केबुल एसेम्बलीज, दूरसंचार सामग्रियाँ एवं उपकरण तथा उनके घटक, उप-साधन एवं कमपोनेन्ट पार्ट्स, माइक्रोवेभ रेडियो इक्यूपमेंट, एस0डी0एस0 एवं अन्य ट्रांसमिशन इक्यूपमेंट्स, ट्रांसमिशन तार एवं टावर्स एम0एस0सी0 बेस ट्रांसमीटर स्टेशन, बेस स्टेशन कॉन्ट्रोलर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एवं प्लानिंग यंत्र, यूनिफाईड मैसेजिंग सिस्टम, बिलींग सिस्टम, प्रत्येक प्रकार के नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, एयर कंडिशनर, जेनेरेटर सेट्स, प्री-इंजिनियर्ड बिल्डिंग उनके घटक एवं उप-साधन, मोबाईल फोन/हैण्ड सेट उनके घटक तथा उप-साधन, सीम कार्ड्स, स्क्रैच कार्ड्स, यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर, उनके घटक तथा उप-साधन, स्पीलीसिंग मशीन, उनके घटक तथा उप-साधन।	8	तदैव
20	स्टोन चिप्स, स्टोन बोल्डर्स एवं स्टोन बैलेस्ड।	4	तदैव
21	क्रम संख्या 4,11,13,17 एवं 20 में विनिर्दिष्ट सामग्रियों को छोड़कर प्रत्येक प्रकार के बिल्डिंग मेटेरियल्स।	8	तदैव
22	डीजल एवं पेट्रोल	16	तदैव
23	क्रम संख्या 22 एवं 26 में विनिर्दिष्ट सामग्रियों को छोड़कर अन्य प्रकार की पेट्रोलियम सामग्रियां।	8	तदैव
24	ट्रैक्टर	5	तदैव
25	धान, चावल, एवं गेहूं	4	तदैव
26	घरेलु रसोई गैस, पेट्रोलियम कोक और विटुमैं	4	तदैव

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0-बिक्री-कर/सं0-07/2008),

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के प्रधान सचिव।

31 मार्च 2008

एस0 ओ0 39-एस0 ओ0 38, दिनांक 1 अप्रैल 2008 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत सविधान के अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका सं0-बिक्री-कर/ सं0-07/2008)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के प्रधान सचिव।

The 31st march 2008

S.O 38, dated the 1st April 2008- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No. 16 of 1993) the Governor of Bihar is pleased to specify the rates at which and the conditions and restrictions subject to which tax shall be charged and collected on the entry of Scheduled Goods.

Sl. No.	Description of goods	Rate (in Percent)	Conditions and restrictions.
1	Tobacco.	8	Entry of goods into a local area in Bihar State from another such area or from any place outside Bihar State.
2	Tobacco products including Gutkha and other like products but excluding Biris.	16	Do
3	Indian made Foreign liquor and foreign made foreign liquor.	16	Entry of goods into a local area in Bihar from any place outside Bihar.
4	Cement.	12	Do
5	Crude Oil.	2	Do
6	All types of paints, varnishes and all painter's material.	8	Do
7	Coal and Coke in all its form.	4	Do
8	Paper of all kinds including exercise books, Waste paper, Paste board, Card board, Mill board, Hard board, boxes made of hard board, cartridge paper, packing paper, paper bags, cartoons, cards, blank registers, note book, envelopes, labels, letter pads, writing tablets and flat files.	5	Do
9	Computer hardware and software, printers, UPS, CVT, their accessories and spare parts including computer cables, scanners and Modems.	4	Do
10	Air conditioners, Air coolers and Air circulators.	5	Do
11	Marble, marble chips and marble tiles, granite and ceramic and glazed tiles.	8	Do

Sl. No.	Description of goods	Rate (in Percent)	Conditions and restrictions.
12	Steel pipes, plastic and PVC pipes including plastic celluloid, bakelite, goods made of similar substance (excluding moulded suitcase made of plastic and similar substance such as VIP, Aristocrat, Safari and similar articles and vanity cases), plastics sheets and fabrics and articles made of such sheets and fabrics, PVC, HDPE, granules and other raw materials.	4	Do
13	Iron & Steel.	4	Do
14	All type of motor vehicles including two wheelers, three wheelers and chassis of truck and buses but excluding tractors.	8	Do
15	Timber, Plywood, Ply board, Sun mica, fore mica, including decorative lamination and laminated sheets.	8	Do
16	Sanitary goods and fittings.	8	Do
17	Electrical goods, implements, apparatus and appliances including electrical fittings, transformer, invertors, insulators, electrical earthenware and porcelain, testing and maintenance equipments, boilers, plants, diesel generating sets, battery and battery charger, steel towers, tower parts, bolt and nuts used therein, conductors, galvanized steel earth wire, lighting arrester, control and relay panels, lighting equipments, PVC cable, power line communication carrier equipments and all other machineries, devices, items and fittings used in generation, distribution and use of electricity.	8	Do
18	Vanaspati and other Hydrogenated Oil.	5	Do
19	Telephone sets, their spare parts and accessories including all types of Electronic Telephone Equipments/ Exchanges including wireless and parts and accessories thereof, Cellular Radio Equipment, Telephone instruments, Transmission Equipments, Batteries, Power Plants, Invertors, all types of Communication instruments, Equipments and Accessories thereof, Testers, Microfiche/microfilm reader, Compact Disc Reader, Printed Circuit Assemblies, Magazines, Cables Assemblies, Telecommunication goods and equipments, their spare parts, component		

Sl. No.	Description of goods	Rate (in Percent)	Conditions and restrictions.
	parts and accessories. Microwave Radio Equipment, Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and other transmission equipment, Transmission Wires and Towers, Mobile Switching Centre (MSC), Base Transceiver Station (BTS), Base Station Controller (BSC), Radio Frequency (RF) and Planning Tools, Unified Messaging System (UMS), Billing System, Various type of Network Management Systems, Air Conditioners, Generators Sets, Server, Modem, Routers, Datacom (DNIP) Equipment and parts and accessories thereof, Mobile Phones/Hand Set and parts and accessories thereof, Sim Cards, Scratch Cards, Universal Multi plexer (UMUX) and parts and accessories thereof, Splicing Machine and parts and accessories thereof.	8	Do
20.	Stone chips, Stone bolders and Stone ballast.	4	Do
21.	All types building materials other than those specified under serial number 4, 11, 13, 17 and 20.	8	Do
22.	Diesel and Petrol.	16	Do
23.	All other petroleum products except those specified in Sl. No. 22 & 26	8	Do
24.	Tractors.	5	Do
25.	Paddy, Wheat and Rice	4	Do
26.	Domestic cooking gas, petroleum coke and bitumen	4	Do

2. This notification shall come into force with effect from date of its issue.

[No. Bikri-kar/Sanshodhan-07/2008]

By order of the Governor of Bihar,

SUBHAKIRTI MAJUMDAR,

Commissioner-cum-Principal Secretary to Govt.

 अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
 तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण), 204-571+1000 डी०टी०पी०।-